न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 726–अध्यक्ष/1998 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–1998 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 219/96–97/अपील

.....

समन्दरसिंह पिता रामसिंह सीसोदिया
निवासी ग्राम पिपल्दा तहसील एवं जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

1–अन्तरसिंह पिता रामसिंह सीसोदिया
2–श्रीमती रामप्यारी बाई विधवा अन्तरसिंह गारी
3–मदन पिता मनीराम अवयस्क द्वारा संरक्षक
माता रामप्यारीबाई विधवा अन्तरसिंह
निवासी गण ग्राम पिपल्दा तहसील एवं जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/8/ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 अन्तरसिंह द्वारा नायब तहसीलदार धार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपल्दा स्थित भूमि सर्वे कमांक 55 रकवा 4.416 हेक्टर, सर्वे कमांक 90 रकवा 3.566 हेक्टर, सर्वे कमांक 366 रकवा 0.253 हेक्टर, सर्वे कमांक 385 रकवा 0.316 हेक्टर, सर्वे कमांक 402 रकवा 0.126

हेक्टर कुल सर्वे कमांक 5 कुल रकवा 8.887 हेक्टर भूमि के बटवारे हेतु अनावेदक कमांक 1 अन्तरसिंह द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक समंदरसिंह, मृतक दरयाफबाई तथा अन्तरसिंह के विरूद्ध 1/3 हिस्से की डिक्री पारित की गई है, जिसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है । व्यवहार न्यायालय द्वारा कलेक्टर को डिक्री के अनुसार बटवारा आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है । तद्नुसार नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/78–79/अ–27 दर्ज कर आदेश दिनांक 16–3–79 से बटवारा आदेश पारित किया गया तथा बटवारा फर्द की नकल व्यवहार न्यायालय को भिजवायी गई। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन हो जाने के कारण बटवारा फर्द का अमल दरामद नहीं हो पाया है । वर्तमान में उक्त स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है और दरयाफबाई का स्वर्गवास हो गया है । चूँकि बटवारा में 1/3 हिस्सा दरयाफबाई का भी था जो कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 की माता की थी, अतः उनका हिस्सा भी आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के लिये आधा–आधा किया जाये और व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार बटवारा किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–27/1991–92 दर्ज कर दिनांक 31–3–1993 को बटवारा आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–4–1997 को आदेश पारित नायब तहसील का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 17–2–1998 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार प्रकरण में बटवारा फर्द तैयार कर व्यवहार न्यायालय को भेजी जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में यह बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को बिना समझे व्यवहार न्यायालय के समक्ष फर्द बटवारा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश देने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा केवल स्वत्व का निराकरण किया जाता है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । इस आधार पर कहा गया कि नायब तहसीलदार को बटवारा आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय को भेजा जाना था ताकि उक्त अंतिम आदेश के आधार पर डिक्री पारित की जाती । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को मात्र यह देखना था कि व्यवहार न्यायालय में डिक्री के अनुसार बटवारा हुआ है अथवा नहीं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के विपरीत बटवारा आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पूर्व में नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–27/1978–79 में दिनांक 16–3–1979 को बटवारा फर्द तैयार कर बटवारा किया था, जिसमें मृतक दरयाफबाई और अन्तर सिंह के पिता नारायण सिंह की सहमति थी, इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में फर्द बटवारा तैयार कर व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये

जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखा गया है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उन्हें व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसार फर्द बटवारा तैयार कर व्यवहार न्यायालय में भेजे जाने के निर्देश देने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश 17–02–1998 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर